भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1120

10 फरवरी, 2021 को उत्तर के लिए

इस्पात से जुड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के सुरक्षा मानदंडों में सुधार किया जाना

1120. श्री सुजीत कुमार:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

मंत्रालय द्वारा राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी) की दुर्घटना में चार लोगों की मृत्यु होने के मद्देनजर राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी) और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा चलाए जा रहे अन्य संयंत्रों में सुरक्षा मानदंडों में सुधार के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री धर्मेंद्र प्रधान)**

इस्पात मंत्रालय ने देश में लोहा और इस्पात क्षेत्र के सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए वर्ष 2019-20 में 25 सुरक्षा दिशानिर्देशों का एक सेट तैयार किया है। हितधारकों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद इसे तैयार किया गया है और कर्मचारियों के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए लोहा एवं इस्पात निर्माण उद्योग के संभावित खतरों और दुर्घटनाओं को कम करने हेतु अपनाए जाने वाले आवश्यक उपायों की पहचान करने में सक्षम बनाता है।

विभिन्न इस्पात विनिर्माण पीएसयू में सुरक्षा मानदंडों में सुधार लाने के लिए ओएचएसएएस (व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा मूल्यांकन श्रृंखला)/आईएसओ (अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन) सुरक्षा मानदंडों को अपनाया गया है। सुरक्षित कार्य वातावरण और सुरक्षा के समस्त मानदंडों को सुनिश्चित करने के लिए ओएचएसएएस/आईएसओ के भागस्वरूप, मानक

कार्य प्रक्रियाओं, जिनमें मानक प्रचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) और मानक रख-रखाव प्रक्रियाएं (एसएमपी) शामिल हैं, को इस्पात संयंत्रों के विभिन्न विभागों में तैयार और कार्यान्वित किया गया है।

राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी) और सेल के अन्य संयंत्रों/इकाइयों में सुरक्षा मानदंडों में सुधार लाने के लिए उठाए गए कुछ विशिष्ट कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- गैस लाइन कार्य को आरंभ करने से पहले सुरक्षा प्रोटोकॉल के अलावा कार्य परमिट प्रणाली की पुनरीक्षा और पूरा किया जाना।
- कोयला रसायन विभाग, आरएसपी में गैस लाइनों की स्थिति की जाँच और उपचारात्मक कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर करना।
- आरएसपी में नियमित कर्मचारियों के लिए गैस सुरक्षा उपकरण पर व्यावहारिक प्रशिक्षण सहित गैस सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम को सप्ताह में एक बार से बढ़ाकर सप्ताह में दो बार किया जाना।
- आरएसपी में अतिरिक्त सुरक्षा संकेतों को स्थानीय भाषाओं में प्रदर्शित किया गया है।
- सभी संयंत्रों/इकाइयों को एसजी-21 अर्थात् ईंधन गैस प्रबंधन के लिए सुरक्षा दिशा-निर्देश, मचान संबंधी कार्य परमिट प्रणाली/बीआईएस मानकों, एसओपी/एसएमपी आदि का कड़ाई से अनुपालन करने का निदेश दिया गया है।
- नियमित कर्मचारियों/संविदागत कामगारों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करके इन क्षेत्रों में जागरुकता प्रशिक्षणों में वृद्धि की गई है।

****